पंजिकृत पावती
उल्लघंन- पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षैत्रिय खान नियंत्रक का कार्यालय

सं. राज./चितौड./लाईम-13

सेक्टर नं. 11, हिरणमगरी
उदयपुर - 313001
दिनांक 22 JUL 2016

प्रेषक: क्षैत्रिय खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्युरो

प्रेषित: मैं. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि.
ग्राम- भावलिया, पोस्ट- मांगरोल,
तहसील- निम्बाहेडा
जिला- चितौडगढ (राज.) 312622

विषय: राजस्थान राज्य के चितौडगढ जिले में स्थित आपकी आरनियाजोशी लाईमस्टोन खान (एम.एल.सं.09/92,क्षैत्र 1476.43है.) में खान में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली,1988 के प्रावधानों का उल्लघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.06.2016 को आपकी खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकाश नियमावली,1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये गये:-

नियम सं.	पाये गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
13(1)	i. अनुमोदित खनन स्कीम के अनुसार वर्ष 2015- 16 के पेरा 22 में प्रस्तावित गणवेषण 22 होल/1100 मी. संपादित करना था,जो कि आपने नहीं किया। ii. Pit Configuration Plate 5A में दिये प्रस्ताव से भिन्न हैं। iii. बेचों की उंचाई व चौडाई वैक्षानिक व सही ढंग से नही बनाई जा कर खनन कार्य किया जा रहा हैं।
27(4)	नियम 27(4) के साथ सपठित नियम 28 के अन्तर्गत रखे जाने वाले सरफेस प्लान, सरफेश जियोलोजीकल प्लान एवं पर्यावरण प्लान को अध्यतन कर नहीं रखे गए हैं।
29	नियमानुसार प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को नियम 28 के अधिन रखे प्लान व सेक्शन को अध्यतन की प्रति भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत नहीं किए गये।
45(5)(ii)	मई 2016 की मासिक विवरणी 10 जून 2016 तक कार्यालय में जमा नहीं कराई गई हैं।

इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता हा की इन नियमों/प्रावधानों का उल्लघंन खनिज संरक्षण एवं विकाश नियमावली,1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। इसके अतिरिक्त नियम 13(1) की अनुपालना न होने पर नियम 13(2) के तहत खनन कार्य स्थगित करने की अनुशंसा क्षेत्रिय खान नियंत्रक से की जा सकती हैं एवं नियम 45 की अनुपालना न होने पर नियम 45(7)(a) के तहत खनन कार्य स्थगन/ अभियोग दायर की सिफारिस क्षेत्रिय खान नियंत्रक से करने की अनुशंसा की जा सकती है।
अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथी से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय

sd
(पुष्पेन्द्र गोड)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्युरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु:-
1 खान नियंत्रक(उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2 निदेशक, खान व भूविज्ञान विभाग,उदयपुर।
3 रक्षित पत्रावली।
4 का.प्रति.

22/07/16
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

7330